राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 327/2014

1. काला सिंह उर्फ नरेश पुत्र कैलाश सिंह, जाति रामदासिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी चूनावड़ (श्री गंगानगर)

2. मीना देवी पत्नी तरसेम सिंह, जाति रामदासिया, उम्र वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 3, चूनावड़ (श्री गंगानगर)

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 28/2014

से संबद्ध

1. रमेश कुकर उर्फ महेश पुत्र सुरजा राम, जाति नायक, उम्र 22 वर्ष, निवासी चूनावड़ (श्री गंगानगर)
2. विकास कुमार उर्फ ओम प्रकाश पुत्र किशन लाल, जाति नायक, उम्र 20 वर्ष, निवासी चूनावड़ (श्री गंगानगर)

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : नवनीत पूनिया जी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री बी.आर. बिश्नोई, ए.जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

निर्णय

निर्णय उच्चारित की तारीख : 23/11/2022

रिपोर्ट करने योग्य

माननीय मेहता, न्यायमूर्ति

1. ये दो अपीलें सत्र प्रकरण संख्या 36/2013 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला अत्याचार और दहेज मामलों की विशेष अदालत), श्री गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2013 को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं, जिसमें यहां अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई:

काला सिंह @नरेश

अपराध	सजा	जुर्माना	जुर्माना चूक सजा
धारा 458 आईपीसी	10 वर्ष का कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 459 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 394 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 397 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 323 आईपीसी	1 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	3 माह का अतिरिक्त कारावास

धारा 325/34 आईपीसी	3 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
सभी मूल सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।			

रमेश कुमार @महेश

अपराध	सजा	जुर्माना	जुर्माना चूक सजा
धारा 458 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 459 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 394 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
Section 397 IPC धारा 397 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 323/34 आईपीसी	1 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	3 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 325/34 आईपीसी	3 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
सभी मूल सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।			

विकास कुमार @ ओम प्रकाश

अपराध	सजा	जुर्माना	जुर्माना चूक सजा
धारा 458 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 459 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास

धारा 394 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 397 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 323 आईपीसी	1 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	3 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 325 आईपीसी	3 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
सभी मूल सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।			

मीना देवी

अपराध	सजा	जुर्माना	जुर्माना चूक सजा
धारा 458 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 459 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 5,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 394/34 आईपीसी	आजीवन कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 397/34 आईपीसी	10 वर्ष का कठोर कारावास	रुपए 10,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 323/34 आईपीसी	1 वर्ष कारावास	रुपए 2,000/-	3 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 325/34	3 वर्ष का कारावास	रुपए 2,000/-	6 माह का अतिरिक्त कारावास
सभी मूल सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।			

2. अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने सीआरपीसी की धारा

374(2) के तहत ये अपीलें दायर की हैं।

3. चूँकि, ये दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना गया है और निर्णय लिया जा रहा है।

4. संक्षेप में कहा गया है, अपीलों के निपटान के लिए प्रासंगिक और आवश्यक तथ्य यहां नीचे दिए गए हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी का परचा बयान (इसके बाद 'पीड़िता' के रूप में संदर्भित) (प्रदर्श पी./1) को दिनांक 05.03.2013 सुबह 10.30 बजे, को श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल के महिला आर्थोपेडिक वार्ड के बेड संख्या 18 पर एसएचओ, पुलिस स्टेशन चूनावड़, जिला श्री गंगानगर द्वारा दर्ज किया गया था। जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। वह अपने प्लाट पर बने कच्चे मकान में अकेली रह रही थी। उसे उसके पड़ोसियों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पिछली शाम को उसने खाना खाया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर सोने चली गई। रात करीब 11-12 बजे गांव चूनावड़ के तीन लड़के रमेश, काला सिंह और विकास उसके कमरे में घुस आये। शोर सुनकर वह जाग गई, रमेश ने उसका मुंह बंद कर दिया, विकास उसके पैरों पर बैठ गया और काला सिंह ने उसे लात-घूंसों से मारा। काला सिंह ने उसकी करीब एक तोला वजनी सोने की बालियां छीन लीं, जिससे उसके कान की बालियां फट गईं और काफी खून बहने लगा। उसने शोर मचा दिया, जिस पर रमेश ने उसका गला दबाने की कोशिश की। विकास खड़ा हुआ और डंडे से मारकर उसका बायां पैर तोड़ दिया। तीनों उसकी बालियां लेकर भाग गए। उसने शोर मचाया, जिस पर कुछ ग्रामीण वहां आ गए और उसे चूनावड़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंगानगर सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

5. इस परचा बयान (प्रदर्श पी/1) के आधार पर धारा 458, 394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन चूनावड़ में एफआईआर संख्या 29/2013 (प्रदर्श पी/16) दर्ज की गई। 323 को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ा गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपीलार्थी मीना को आरोपी रमेश, विकास और काला सिंह के साथ मुखबिर के घर की दिशा से

आगे बढ़ते देखा था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी काला सिंह उर्फ नरेश ने श्री फूलचंद शर्मा (पीडब्लू-15) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत कथित तौर पर आई.ओ. को एक प्रकटन बयान (प्रदर्श पी/40) दिया था। इसके आगे कार्रवाई करते हुए, आई.ओ. आरोपी मीना के घर पहुंची और सोने की बाली बरामद कर ली। आरोपी रमेश कुमार (प्रदर्श पी/41) द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आगे दूसरी बाली बरामद की गई। श्रीमती लक्ष्मी देवी की चोटों की चिकित्सकीय जांच की गई और मेडिको-लीगल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) तैयार की गई। जांच के समापन पर, आरोपी अपीलार्थीगण के खिलाफ धारा 458, 459, 394 के तहत अपराध के लिए वैकल्पिक 394/34 में, 397 में वैकल्पिक आईपीसी के वैकल्पिक 325/34 में 397/34, 323 में वैकल्पिक 323/34 और 325 के तहत आरोप-पत्र दायर किया गया।

चूंकि धारा 397 और 459 आईपीसी के तहत अपराध सत्र विचारणीय थे, इसलिए मामला दर्ज किया गया और फिर सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला अत्याचार और दहेज मामलों के विशेष न्यायाधीश), श्री गंगानगर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां आरोपी अपीलार्थीगण के खिलाफ रमेश, विकास और काला सिंह उर्फ नरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 458, 459, 394, 397, 323/34 और 325/34 के तहत अपराध और आरोपी अपीलार्थी मीना के खिलाफ धारा 458, 459, 394/34, 397/34, 323/34 एवं 325/34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की और 52 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। आरोपियों से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष के आरोपों का सामना करने पर, उन्होंने इससे इनकार किया, निर्दोष होने का दावा किया लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया।

लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने के बाद, विद्वान निचली अदालतने दिनांक 13.12.2013 के निर्णय के अनुसार अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जो

इन दो अपीलों में लागू है।

6. अपीलार्थीगण रमेश, विकास और काला सिंह उर्फ नरेश का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत पूनिया ने जोरदार और उत्साहपूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अपीलार्थीगण के खिलाफ अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह, पीड़िता लक्ष्मी देवी लगभग 85 वर्ष से अधिक उम्र की एक वृद्ध महिला थीं। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह अंधेरे में देखने में असमर्थ थी। जिरह में, उसने स्वीकार किया कि वह लाइट आदि बंद करने के बाद सो गई थी। इस प्रकार, श्री पूनिया के अनुसार, अपराध स्थल पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था और इसलिए, पीड़िता के लिए यह असंभव होता। घने अंधेरे की हालत में आरोपी की सफलतापूर्वक पहचान की गई। उनका वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण यह था कि आईपीसी की धारा 394 और 459 के तहत कारावास की जो अवधि प्रदान की गई है वह "आजीवन कारावास" है या "एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है"। श्री पूनिया के अनुसार, इन धाराओं की स्पष्ट भाषा यह संकेत देगी कि "आजीवन कारावास" अपवाद के रूप में दिया जाना चाहिए, न कि स्वाभाविक रूप से। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोपी अपीलार्थी रमेश, विकास और काला सिंह उर्फ नरेश पहले ही 10 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं और इस प्रकार, आईपीसी की धारा 394 और 459 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। उनके द्वारा पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि को कम कर दिया गया है।

चूंकि, आरोपी मीना देवी की ओर से मामले पर बहस करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, श्री पूनिया ने उक्त आरोपी के मामले में भी अदालत की सहायता की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्रीमती लक्ष्मी द्वारा दिए गए परचा बयान (प्रदर्श पी/1) में किसी भी महिला आरोपी की उपस्थिति का कोई संदर्भ नहीं है। साक्षी श्रीमती सुनीता (पीडब्लू-3) ने आरोप लगाया कि वह और उसका पति अपनी गाय की देखभाल कर रहे थे जब उन्होंने एक महिला और कुछ पुरुषों को पीड़ित के घर के पास खड़े देखा। महिला

ने आरोपी अपीलार्थी मीना की पहचान उक्त महिला के रूप में की। श्री पूनिया ने बताया कि गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि लक्ष्मी देवी ने उन्हें हमलावरों का नाम बताया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस बयान (प्रदर्श डी/1) में, उसने पुरुष आरोपी व्यक्तियों के साथ जाने वाली महिला के रूप में मीना के नाम का प्रकटन नहीं किया। श्री पूनिया ने यह भी कहा कि गवाह बृजलाल (पीडब्लू-4) ने कहा कि लक्ष्मी देवी ने अपीलार्थी मीना सहित चार हमलावरों का नाम लिया था। हालाँकि, बृजलाल का यह आरोप पीड़िता लक्ष्मी देवी (पीडब्लू-1) के बयान से उलट है। गवाह बृजलाल ने भी स्वीकार किया कि वह मीना को घटना से पहले से नहीं जानता था। इस प्रकार, इस गवाह द्वारा आरोपी मीना का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह उस महिला की पहचान नहीं कर सका जिसे वह पहले से नहीं जानता था। उन्होंने यह भी बताया कि गवाह दौलत राम (डब्ल्यू-5) ने अपने साक्ष्य में अपीलार्थी मीना का नाम नहीं लिया। श्री पूनिया ने इस प्रकार आग्रह किया कि आरोपी मीना के खिलाफ, उसे कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि आई.ओ. ने आरोप लगाया कि आरोपी काला सिंह उर्फ नरेश (प्रदर्श पी/40) के प्रकटीकरण बयान के आगे पीड़िता की बालियों की जोड़ी में से एक टुकड़ा आरोपी मीना के घर से बरामद किया गया था, लेकिन, वसूली कार्यवाही का कोई दस्तावेज नहीं है और इस प्रकार, इस वसूली के संबंध में उनके खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्ष, जिसके तहत आरोपी मीना को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जांच के लायक नहीं है और इस प्रकार, आरोपी अपीलार्थी मीना बरी होने का पात्र है।

7. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का जोरदार और उत्साहपूर्वक विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुष आरोपी अपीलार्थीगण ने रात में घर में घुसकर हमला करने का जघन्य अपराध किया और 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके कान की बालियां तोड़कर उसकी सोने की बालियां लूट लीं और इस प्रकार, निचली अदालतद्वारा आजीवन कारावास की सजा देना पूरी तरह से उचित था। इन अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 394 और

459 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास दिया गया। हालाँकि, आरोपी मीना के लिए, विद्वान लोक अभियोजक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पुख्ता नहीं हैं और निचली अदालतद्वारा उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष कमोबेश अनुमानित हैं।

8. हमने बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचारपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

9. पुरुष आरोपी हमलावरों अर्थात् रमेश, विकास और काला सिंह उर्फ नरेश के खिलाफ अभियोजन का मामला पीड़ित श्रीमती लक्ष्मी देवी (पीडब्लू-1) के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। हमने परचा बयान (प्रदर्श पी/1) और लक्ष्मी देवी (पीडब्लू-1) के शपथपूर्ण बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि महिला ने इस पहलू पर पुख्ता साक्ष्य दिए हैं कि तीनों आरोपी अपीलार्थी उसके घर में घुस आए थे। रात को उसके साथ ज्यादती की और उसकी सोने की बालियां छीन लीं। इस दौरान महिला के कान की झिल्ली फट गयी और बायां पैर टूट गया। महिला से की गई जिरह में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण पता नहीं चला है जिससे घटना के समय और उसकी शपथपूर्वक दी गई। गवाही के दौरान गवाह द्वारा आरोपी की पहचान करने के पहलू पर संदेह पैदा हो। इस प्रकार, श्रीमती लक्ष्मी देवी (पीडब्लू-1) का प्रमाण इस हद तक आश्वस्त हैं कि उन्होंने आरोपी अपीलार्थीगण रमेश, विकास और काला सिंह उर्फ नरेश के खिलाफ रात में घर में घुसने और हिंसा से जुड़ी डकैती के आरोप लगाए। हालाँकि, गवाहों सुनीता (पीडब्लू-3), बृजलाल (पीडब्लू-4) और दौलत राम (पीडब्लू-5) के साक्ष्य, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इन पुरुष हमलावरों को लक्ष्मी देवी के घर के पास खड़े देखा और उसके बाद आरोपियों के साथ चले गए। मीना देवी आश्वस्त नहीं हैं. इसका कोई तुक या कारण नहीं था कि ये गवाह रात के विषम घंटों में इधर-उधर क्यों घूम रहे होंगे। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से बनावटी मौका गवाह प्रतीत होते हैं।

हमारा विचार है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आई.ओ. में किसी न किसी तरह से आरोपी मीना को फंसाने के लिए इन गवाहों को शामिल/बनाया है, क्योंकि पीड़िता ने

खुद इस घटना में शामिल होने के लिए किसी महिला का नाम नहीं लिया है। इसीलिए, सुनीता (पीडब्लू-3), बृजलाल (पीडब्लू-4) और दौलत राम (पीडब्लू-5) को मौका गवाह बनाया गया और उनके साक्ष्य में, घटना में एक महिला के शामिल होने का सिद्धांत जोड़ा गया। अत: इन गवाहों के साक्ष्य ठोस नहीं हैं।

पीड़िता के शरीर से लूटी गई बालियां आई.ओ. द्वारा बरामद कर ली गईं। आरोपी काला सिंह उर्फ नरेश (प्रदर्श पी/40) और रमेश (प्रदर्श पी/41) द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आगे। हालांकि, आई.ओ. ने आरोप लगाया कि एक बाली आरोपी मीना के घर से बरामद की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के पूरे सेट से, यह स्पष्ट हो जाता है कि आई.ओ. ने यह दिखाने के लिए संतोषजनक साक्ष्य जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया कि विचाराधीन घर मीना का था। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि इस बाली की बरामदगी से संबंधित रिकवरी मेमो (प्रदर्श पी/6), साइट निरीक्षण योजना (प्रदर्श पी/7) और साइट निरीक्षण मेमो (प्रदर्श पी/7ए) पर हस्ताक्षर नहीं हैं। आरोपी मीना. इसलिए, इस बरामदगी को इस आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं माना जा सकता है। आरोपी अपीलार्थी श्रीमती मीना से जुड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।

10. नतीजतन, हमारा दृढ़ विचार है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई आरोपी अपीलार्थी मीना की सजा साक्ष्यों की ठोस सराहना पर आधारित नहीं है और इसलिए, इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

11. हालाँकि, आरोपी अपीलार्थीगण रमेश, काला सिंह और विकास के खिलाफ निचली अदालतद्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की गहन और उचित सराहना पर आधारित हैं, इस प्रकार, आईपीसी की धारा 458, 459, 394, 397, 323 और 325/34 के तहत अपराध के लिए उनकी सजा बरकरार रखी जाती है।

12. आरोपियों को आईपीसी की धारा 394 और 459 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों अपराध वाक्यों की शर्तों को इन शब्दों में निर्धारित करते हैं "आजीवन कारावास" से दंडित किया जाएगा या 'एक अवधि के

लिए कठोर कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है"। इन धाराओं में "जीवन भर के लिए परिवहन" शब्दों के स्थान पर "आजीवन कारावास" की सजा को 01.01.1956 धारा 53 क आईपीसी में संशोधन करके। 1.4.2020 से प्रतिस्थापित/प्रस्तुत किया गया था।

"जीवन के लिए परिवहन" की सजा, जिसे धारा 394 और 459 और कई अन्य समान प्रावधानों में शामिल किया गया था, हमारे देश के अंधेरे औपनिवेशिक इतिहास की एक गंभीर याद दिलाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सजा को ब्रिटिश शासकों द्वारा दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में शामिल किया गया था, क्योंकि उन्हें देश में स्वतंत्रता सेनानियों की उपस्थिति अवांछनीय लगती थी। इस प्रकार, "जीवन भर के लिए परिवहन" की सजा दी गई और स्वतंत्रता सेनानियों को पोर्ट ब्लेयर, बर्मा आदि जैसे दूर के स्थानों में अमानवीय दंड और कैद भुगतने के लिए भेजा गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, विधायिका को इसे दूर करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई सजा का अमानवीय रूप, जिसके बाद, धारा 53 ए को वर्ष 1956 में एक संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था, जिसके तहत दंड संहिता और किसी भी अन्य कानून या किसी भी लिखत में "जीवन के लिए परिवहन" का संदर्भ प्रदान किया गया था। आदेश को "आजीवन कारावास" के संदर्भ के रूप में समझा जाना आवश्यक था।

"जीवन भर के लिए परिवहन" की सजा के इस बहिष्कार के साथ, संबंधित दंड प्रावधानों में एक विसंगति पैदा हो गई है, क्योंकि अब, ऐसे अपराधों के लिए अदालत द्वारा जो सजाएं दी जा सकती हैं, जहां जीवन के लिए परिवहन पहले प्रदान किया गया था। जैसा भी मामला हो, या तो "आजीवन कारावास" या "10 वर्ष तक की कैद" होगी। इसका मतलब यह है कि अदालत या तो '10 वर्ष तक' की सजा दे सकती है, लेकिन अगर गंभीर सजा देना वांछनीय है, तो आरोपी को "आजीवन कारावास" की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

इस प्रकार हमारा विचार है कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं या उस

मामले में, अन्य दंड प्रावधानों में "जीवन के लिए परिवहन" की सजा के स्थान पर "आजीवन कारावास" की सजा, अंधेरे औपनिवेशिक की एक दर्दनाक याद दिलाती है। इसलिए, इस चरम सज़ा देने का सहारा लेने से पहले, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और इन दंडात्मक प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सज़ा केवल तभी दी जानी चाहिए जब मजबूत और बाध्यकारी परिस्थितियाँ हों।

10 वर्ष तक की अवधि के कारावास के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा देने के लिए, अदालत को विशेष कारण दर्ज करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा भी, सजा का सुधारात्मक सिद्धांत यह मांग करता है कि जहां भी, कारावास के दो सेट देने के विकल्प हों, एक दूसरे से अधिक कठोर, ऐसी परिस्थिति में, यदि अदालत गंभीर सजा देने का निर्णय करती है, तो उसे ऐसा करने के लिए प्रशंसनीय कारण दर्ज करने चाहिए।

जब हम आक्षेपित निर्णय से गुजरते हैं, तो हम पाते हैं कि अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा देने से पहले, निचली अदालतने कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों और अभियुक्तों की उम्र पर ध्यान नहीं दिया, जो घटना के समय युवा लड़के थे और तुरंत, अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, आरोपी अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास की अधिकतम सजा सुनाई।

13. इस पृष्ठभूमि में और, ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि यह उपयुक्त मामला नहीं है कि इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा दी जाए। घटना के समय आरोपी रमेश, विकास और काला सिंह 20-22 वर्ष की उम्र के युवा थे और इस प्रकार, हमारी राय है कि आईपीसी की धारा 394 और 459 के तहत अपराध के लिए आरोपी अपीलार्थीगण को दी गई सजा उचित है। 10 वर्ष के कठोर कारावास की अवधि कम कर दी गई।

परिणामस्वरूप, हम आईपीसी की धारा 394 और 459 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी (1) रमेश, (2) विकास और (3) काला सिंह को दी गई आजीवन कारावास की सजा को अपास्त कर देते हैं और इसके बजाय उन्हें प्रत्येक पर 10,000/- रुपये का जुर्माने के साथ 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा देते हैं। जुर्माना अदा न

करने पर प्रत्येक आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, उनकी दोषसिद्धि और शेष अपराधों के लिए दी गई सज़ा बरकरार रखी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

आरोपी रमेश, विकास और काला सिंह द्वारा प्रस्तुत अपीलें उपरोक्त शर्तों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी मीना द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया है और आईपीसी की धारा 458, 459, 394/34, 397/34, 323/34 और 325/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई उसकी सजा और उसे दी गई सजाएं स्वीकार की जाती हैं। दिनांक 13.12.2013 के आक्षेपित निर्णय द्वारा इसे अपास्त कर दिया गया है और अलग रखा गया है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बांड अपास्त कर दिए गए हैं।

14. हालाँकि, धारा 437-ए सीआरपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी मीना को 40,000/- रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और विद्वान निचली अदालत के समक्ष इतनी ही राशि का एक ज़मानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जो इस प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा कि नोटिस प्राप्त होने पर वर्तमान निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, अपीलार्थी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

15. रिकॉर्ड तुरंत निचली अदालत को लौटाया जाए।

16. इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक फ़ाइल में रखी जाये।

(कुलदीप माथुर), न्यायमूर्ति **(संदीप मेहता), न्यायमूर्ति**

33-Tikam Daiya/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।